RBE No. 155 /2009.
ACS No. 67
PC-VI Circular No. 140

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. E(W)97/PS5-1/71 New Delhi, the 31st August 2009.

The General Managers(Personnel),
All Indian Railways/PUs.

Sub : Grant of Privilege Passes /PTOs to dependent relatives – Raising the income ceiling.

Reference this office letter of even number dated 12.6.2008 on the above mentioned subject, whereby the income ceiling for dependency for the purpose of grant of Privilege Passes/PTOs to dependant relatives of railway servants was revised w.e.f. 1.1.2008 as Rs.3308/- p.m. i.e. Rs.1500(Pension/Family Pension) + Rs.750(DP)+47% of Rs.2250 (1500+750) or 15% of the Pay (excluding DP) of the Railway servant, whichever was more.

2. Consequent upon implementation of Govt.'s decision on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission regarding revision of minimum family pension to Rs.3500/-, it has been decided that a dependent relative in relation to a Railway servant as defined in Para-2(C) of the Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition, 1993) shall be considered eligible for entitlement of Passes/PTOs if his/her income does not exceed minimum pension/family pension i.e. Rs. 3500/- and Dearness Relief thereon or 15% of the basic pay of the Railway servant, whichever is more.

3. Accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that the first proviso below Para 2(C) (vii) of the Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition, 1993) may be amended as per 'Advance Correction Slip No. 67 enclosed.

4. Please acknowledge receipt.

(Debasis Mazumdar)
Joint Director Estt.(Welfare)
Railway Board

Contd..2/-

Advance Correction Slip No. 67 to the Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition, 1993)

The first proviso below Para 2(C) (vii) may be substituted with the following :-

"Provided that a person shall not be considered to be a dependent relative if his/her income from all sources including pension, dearness relief, etc. exceeds 15% of the basic pay per month of the Railway servant or the amount arrived at by adding minimum pension/family pension of Rs.3,500/- and the dearness relief admissible to the pensioner/family pensioner thereon, rounded off to the nearest ten rupee figure, whichever is more."

(Authority :Railway Board's letter No.E(W)97/PS 5-1/71 dated . 31 .08.2009)

आरबीई नं. 155 2009
अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 67
पी.सी.-VI परिपत्र सं. 150

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं.ई(डब्ल्यू)97पीएस5-1/71 दिनांक. 31 अगस्त,2009

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

विषय: आश्रित रिश्तेदारों को सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश प्रदान करना-आय सीमा को बढ़ाना.

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 12.06.08 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसके अंतर्गत रेल सेवकों के आश्रित रिश्तेदारों के लिए सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश प्रदान करने के प्रयोजन से उनके आश्रित होने के लिए आय सीमा को 1.1.2008 से 3308/-रु. प्रतिमाह के रूप में संशोधित किया गया था, अर्थात्- 1500/-रुपए (पेंशन/परिवार पेंशन)+750 रुपए (मंहगाई वेतन)+2250 (1500+750) रुपए का 47% अथवा रेल सेवक के वेतन का 15% (मंहगाई वेतन को छोड़कर), जो भी अधिक था.

2. 3500/- रुपए की न्यूनतम परिवार पेंशन के संशोधन के संबंध में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, यह विनिश्चय किया गया है कि रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण, 1993) के पैरा-2 (ग) में यथा-परिभाषित किसी भी रेल सेवक के ऐसे आश्रित रिश्तेदारों को पास/सुविधा टिकट आदेश पाने के लिए पात्र माना जाएगा जिनकी आय, न्यूनतम पेंशन/परिवार पेंशन 3500/-रु. और मंहगाई राहत अथवा रेल सेवक के मूल वेतन के 15%, जो भी अधिक हो, से अधिक न हो.

3. तदनुसार, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती हैं कि रेल सेवक (पास) नियम,1986

(द्वितीय संस्करण, 1993) के पैरा 2 (ग) (vii) के नीचे प्रथम परंतुक को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 67 के अनुसार संशोधित किया जाए.

4. कृपया पावती दें.

(देबाशीष मजूमदार)
संयुक्त निदेशक, स्था (कल्याण)
रेलवे बोर्ड

सं.ई(डब्ल्यू)97पीएस5-1/71 दिनांक 31 अगस्त.2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित:

1. महासचिव, नेशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
2. महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन फैडरेशन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
3. राष्ट्रीय परिषद् एवं विभागीय परिषद् के सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)
4. महासचिव, फैडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
5. सचिव, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियां)
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियां)
7. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
8. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल निलायम, सिकंदराबाद (5 अतिरिक्त प्रतियां)
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियां)
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास IV स्टाफ एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियां)
11. महासचिव, अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल संघ, कमरा नं. 256-डी-, रेल भवन, नई दिल्ली.
12. आर बी पी ओ ए, (इरपोफ से संबद्ध), कमरा नं. 341-सी, रेलवे बोर्ड.

रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण, 1993) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 67

पैरा 2 (ग) (vii) के नीचे प्रथम परंतुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए-

परंतु, यदि किसी व्यक्ति की सभी स्रोतों से आय जिनमें पेंशन, महंगाई राहत आदि शामिल हैं, रेल सेवक के प्रतिमाह मूल वेतन के 15% अथवा 3500/-रुपए की न्यूनतम पेंशन/परिवार पेंशन और पेंशन भोगी/परिवार पेंशन भोगी को अनुमेय महंगाई राहत जोड़ने पर प्राप्त रकम, जो कि 10/-रुपए के निकटतम अंक तक पूर्णांकित हो, जो भी अधिक हो, से अधिक हो तो उसे आश्रित रिश्तेदार नहीं समझा जाएगा.

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक .08.09 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू)97/पी एस 5/1/71).